न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम 2,अजमेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – विकाससिंह चौधरी , आर.जे.एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सी.आई.एस. संख्या 248/2026

1– अमोद उर्फ अमोद शाह पुत्र जियालाल शाह, निवासी लक्ष्मीनिया टोला पोस्ट आफिस जमुनिया पुलिस थाना झारोखर जिला पूर्वी चम्पारन बिहार, उम्र–38 वर्ष

––प्रार्थी /अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, अजमेर –– अभियोगी

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन. एस.एस. प्रथमसूचना रिपोर्ट संख्या 159/2025 पुलिस थाना कोतवाली,अजमेर अपराध अंतर्गत धारा 64(2)(एम),72(2),79 351(3) बी.एन.एस. एवं 66 ई,67 आई टी एक्ट

उपस्थित

1– श्री युगलकिशोर प्रसाद , विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2– श्री अशोक अग्रवाल, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
3– श्री अनिलदेव, अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाना कोतवाली।।

आदेश दिनांक 10–03–2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त अमोद उर्फ अमोद शाह की ओर से पुलिस थानाकोतवाली पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 159/2025 मे यह अग्रिम जमानत का आवेदन श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर मे प्रस्तुत किया गया जो विधिवत निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2– प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादिया गंगादेवी कुमावत ने दिनांक 27–9–2025 को पुलिसथाना कोतवाली, अजमेर पर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि वह एक साल से राजेश की थांवला स्थित श्री श्याम टेक्सटाईल फैक्ट्री मे पेटर्न डिजायनर के तौर पर काम करती है, उसी फैक्ट्री मे अमोध उर्फ अमोद शाह भी पेटर्न मास्टर के रूप मे काम करता है। मालिक के कहे अनुसार वे दोनो एक ही टेबल पर कपडो के सेम्पल व पेटर्न डिजायनिंग का काम करते है, इसलिए उनकी बोलचाल होती रहती थी। सितम्बर 2024 मे वह लुगडी रंगवाने अजमेर गयी जिसकी भनक अमोध शाह को लगने पर उसे फोन पर फैक्ट्री नहीं आने का कारण पूछा तो उसने बता दिया, करीब एक घंटे बाद आरोपी अजमेर मे आगरा गेट पर उसका पीछा करते हुए आया व कहा कि वह भी किसी काम से अजमेर आया है, चलो कही चाय पीते है जिस पर उसने विश्वास करके उसके साथ चली गयी । उसेएक सकरी गली में स्थित जैन को इन होटल मे ले गया वहां उसे बाहर से लाकर ज्यूस पिलाया । ज्यूस पीते ही उसे नशीला पदार्थ होने की आंशका होने पर वह बाहर निकलने लगी तो आरोपी ने दरवाजा बंद कर उसके मुंह मे रूमाल ठूस दिया व उसे पलंग पर पटककर उसके साथ खोटा काम(बलात्कार) किया। इस दौरान आरोपी ने अपने मोबाईल से उसकी अश्लील फोटो खीच ली व धमकी दी कि किसी को बताया कि तेरे पति व बच्चे को जान से मार देगा व फोटो वायरल कर देगा। माह अक्टूबर 2024 मे उसे कपडो के पेटर्न दिखाने के बहाने दुबारा अजमेर ले जाकर उससे खोटा काम किया व जबरदस्ती बाथरूम मे नहाने की जिद दी। वह नहाने गयी तो आरोपी ने उसकी नहाती हुयी का वीडियो बना लिया वीडियो वायरल होने के डर से वह आरोपी के कहे अनुसार करने लगी। उसके

Authenticated Document

बाद भी 20 नवम्बर 2024 को उसे अजमेर ले जाकर बलात्कार किया। आरोपी ने वीडियो के दम पर उससे ब्लैकमेल कर उसका बलात्कार किया। बार बार ब्लैकमेल से तंग आकर उसने अपने पति को जून 2025 मे घटना की जानकारी दी। उसके पति ने फैक्ट्री मालिक को जानकारी देकर लोकलाज के भय से आरोपी को फैक्ट्री से निकला दिया। आदि उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान आरम्भ किया गया व प्रकरण मे अनुसंधान जारी है।

3– बहस उभय पक्ष सुनी गयी एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4– दौराने बहस सुयोग्य अधिवक्ता प्रार्थी/ अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि प्रार्थी/ अभियुक्त निर्दोष है, उसे इस प्रकरण मे मिथ्या लिप्त किया गया है। उसके द्वारा परिवादिया से शारीरिक संबंध नहीं बनाया गया था। परिवादिया शादीशुदा है जिसके 12 वर्षीय संतान भी है। उसका पति अत्यधिक शराब का सेवन करता है। परिवादिया ने अनैतिक रूप से राशि प्राप्त करने के लिए यह झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया है। जॉच अधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मे प्रतिपादित सिद्धान्तों की पालना नहीं की है। प्रार्थी अनुसंधान मे सहयोग करने हेतु तत्पर है। अंत मे अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया गया। अपने तर्को के समर्थन मे न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किये––

1–(2022)10 सुप्रीम कोर्ट केसेज 51
सत्येन्द्र कुमार बनाम सी.बी.आई. व अन्य
2–(2025)5 सुप्रीम कोर्ट केसेज 764
प्रशांत बनाम स्टेट आफ एन.टी.सी. आफ दिल्ली

5– अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि अभियुक्त पर परिवादिया को नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार करने व उसके अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने के अपराध का आरोप है। प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधो के आरोप है। अंत मे आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

6– उभय पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

7– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय 2009 सुप्रीम (राज.) 2119 हनुमान बनाम राजस्थान राज्य के मामले मे यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत उसी मामले मे दी जानी चाहिए जिस मामले मे यह प्रकट हो कि प्रकरण झूंठा, मिथ्या और आधारहीन रहा है। अभियुक्त को यह बताना आवश्यक है कि उसके विरूद्ध कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है। पुलिस द्वारा जो तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है उसमे यह अंकित रहा है कि अभियुक्त अपनी शकूनत से रूहपोश है, उसने अपना मोबाईल भी स्वीच आफ कर दिया है। प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा परिवादिया का अश्लील वीडियो वायरल भी किया जाना बताया गया है। प्रार्थी/ अभियुक्त पर धारा 64(2)(एम), 72(2), 79, 351(3) बी.एन.एस. एवं 66ई, 67 आई टी एक्ट के अपराधो के आरोप है। जो गम्भीर प्रकृति के रहे है। मामला अभी अनुसंधानाधीन है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/ अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है।

Authenticated Document

8– अतःप्रार्थी/ अभियुक्त अमोद उर्फ अमोद शाह पुत्र जियालाल शाह की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(विकास सिंह चौधरी)
अपर सैशन न्यायाधीश क्रम 2, अजमेर

आदेश आज दिनांक 10–03–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सिंह चौधरी)
अपर सैशन न्यायाधीश क्रम 2, अजमेर

RAM AVTAR GOYAL
Digitally signed by RAM AVTAR GOYAL
Date: 2026.03.10 16:10:56 +0530

Authenticated Document